भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 264

गुरूवार, 8 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कृषि उडान योजना के उद्देश्य

264. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए कृषि उडान 2.0 योजना आरंभ की गई थी;

(ख) क्या कृषि उडान 2.0 और पहले आरंभ की गई कृषि उडान 1.0 के बीच कोई अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि 1.0 योजना वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि उडान 2.0 का मूल्यांकन करने के लिए हितधारकों की कार्यशाला का आयोजन किया है और यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या कितनी है तथा इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे है;

(ड) कृषि उडान 2.0 की शुरूआत से अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(च) क्या सरकार का तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण जिलों से विमान सेवा शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो विमान सेवाओं से जोडे जाने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए किसानों की सहायता के उद्देश्य से अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना 1.0 का शुभारंभ किया गया था, जिससे कि उनके मूल्य के प्रतिफल में सुधार हो सके। कृषि उड़ान 1.0 के अंतर्गत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल प्रभार (टीएनएलसी) भारतीय मालभाड़ा वाहकों के लिए छूट प्रदान की है तथा पी2सी (यात्री से कार्गो) विमान के लिए यह छूट वहन किए जाने वाले कार्गो के कुल प्रभार योग्य वजन में कृषि उत्पादों का भाग 50% से अधिक होने की शर्त पर उपलब्ध था।

कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा, मुख्यत: पर्वतीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से नष्टवान खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करके, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसमें मौजूदा प्रावधानों में संवर्धन किया गया था। कृषि उड़ान योजना समाभिरूपता की एक योजना है, जिसमें आठ मंत्रालय/विभाग नामतः नागर विमानन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, जनजातीय मामले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय कृषि-उत्पादों के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाने से संबंधित अपनी मौजूदा योजनाओं से लाभांवित होगें। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भारतीय मालवाहकों और पी2सी विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टीएनएलसी और आरएनएफसी के लिए पूर्ण छूट प्रदान करता है।

(घ) नागर विमानन मंत्रालय ने कृषि उड़ान योजना 2.0 के मूल्यांकन के उद्देश्य से दिनांक 01.07.2022 को स्टेकधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें हवाईअड्डे / एयरलाइन प्रचालक, कार्गो टर्मिनल प्रचालक, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। कार्यशाला का आयोजन संबंधित मंत्रालयों के साथ समाभिरूपता की रणनीति को बल प्रदान करने के लिए किया गया था, जिससे स्टेकधारकों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने में भी सहायता मिली।

(ङ) प्रारंभ में 06 माह के लिए पायलट परियोजना में 53 हवाईअड्डों को शामिल किया गया। इसके पश्चात, कृषि उड़ान 2.0 का मूल्यांकन करने के बाद पांच और हवाई अड्डों को शामिल

करके हवाईअड्डों की संख्या 58 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संपूर्ण भारत में संचलित कुल नष्टवान टन भार (अंतर्राष्ट्रीय + घरेलू) 2,54,817 मीट्रिक टन है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अक्टूबर, 2022 तक यह 1,34,333 मीट्रिक टन है।

(च) तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डे तथा महाराष्ट्र में नासिक और पुणे हवाईअड्डे कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल हैं। कृषि उड़ान एक आनगोइंग योजना है और स्टेकधारकों के परामर्श से समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।